

**ग्राम पंचायत तुनुहट्टी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2022 से 03/2024**

भाग-एक

प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत तुनुहट्टी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत तुनुहट्टी में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम. संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुनीता देवी	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम. संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री चैन सिंह	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई

गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	वेंडरों/आपूर्तिकर्ताओं से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही खनन सामग्री का अनियमित क्रय/ भुगतान करने बारे।	8	12.10
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.1	0.12
03.	मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय बारे।	9	27.21
04.	15वें वित्तायोग से इनवर्टर व टीवी इत्यादि के क्रय पर अनियमित व्यय बारे।	9.1	0.67
05.	बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान बारे	9.4	33.02
06.	संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही बिलों का अनियमित भुगतान करने बारे।	9.5	20.67

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत तुनुहट्टी का अंकेक्षण, अवधि 04/2018 से 03/2020 तक किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 15-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अधिकतर पैरों का निपटारा विशष केम्प के दौरान करवा दिया गया है शेष पैरों पर भी आवश्यक कार्रवाई उपरान्त विभाग को सूचित कर दिया जायेगा। प्रतिवेदन में शामिल शेष अनिर्णीत पैरों पर भी शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण में केवल पैरा संख्या 4 व 11 को ही पुनः प्रारूपित किया गया अन्य पैरों का समायोजन विभाग द्वारा जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में पैरे निपटान हेतु विशेष कैंप में पैरों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से लेकर शामिल किया

गया तदोपरान्त निर्णीत पैरों की स्थिति सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट अन्य लम्बित पैरों की स्थिति निम्न वर्णित है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2020 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क जमा करवा दिया गया है।
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.1 से 4.2	स्वतः निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
4.	5	निर्णीत	वर्गीकृत सार रजिस्टर लगा दिए गये हैं।
5.	6 (क)	निर्णीत	वसूल कर लिये गये हैं।
6.	6 (ख)	अनिर्णीत	-
7.	7	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
8.	8	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
9.	9	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
10.	10	निर्णीत	कार्रवाई देख ली गई है।
11.	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
12.	12	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 15-10-2024 से 23-10-2024 तक ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	08/2022	05/2022
2.	2023-2024	06/2023	03/2024

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/CBA/2024/14 दिनांक 23-10-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

4.1 (अ) स्व-स्त्रोत व अनुदान ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1547043.29	1231116.00	2778159.29	1618449.11	1159710.18
2023-24	1159710.18	372415.00	1532125.18	306435.00	1225690.18

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1557592.00	12068484.00	13626076.00	12295849.00	1330227.00
2023-24	1330227.00	5325322.00	6655549.00	5247476.00	1408073.00

कुल योग (1+2) ₹1225690.18 + ₹1408073.00 = ₹2633763.18

(ब) ग्राम पंचायत तुनुहट्टी, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण ।

क्र० सं०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15 TH FC	50100356258996	HDFC Dhalousie	698477.30
2.	IAY/RAY	18810104902	HPSCB Nainikhad	239.00
3.	WDF	18810103556	HPSCB Nainikhad	962.00
4.	5 th SFC	18810105029	HPSCB Nainikhad	70615.00
5.	MMAGY	18810101483	HPSCB Nainikhad	155884.00
6.	VKVNY/SDP	18810104903	HPSCB Nainikhad	458451.00
7.	Biodiversity	18810104191	HPSCB Nainikhad	80137.00
8.	14 th FC	18810102352	HPSCB Nainikhad	0.00
9.	RGSA	18810105111	HPSCB Nainikhad	25853.00
10.	Marrige Fees	18810104244	HPSCB Nainikhad	15967.00
11.	SBM	18810103267	HPSCB Nainikhad	0.00
12.	SF & 13 th FC	18810101071	HPSCB Nainikhad	557719.18
			Cash In hand	40.00
			TOTAL	₹2064344.48

अन्तर (अ - ब) ₹2633763.18 - ₹2064344.48 ₹569418.70

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹5.69 लाख का भारी अन्तर ।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत तुनुहट्टी, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹569418.70 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में पाया गया। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹14.08 लाख का अवरोधन ।

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1408073 की राशि (रोड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अतः अनुदान राशि को विहित

अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.48 लाख की वसूली न करने बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹47955 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशि	वकाया राशि
2022-23	23955	368	50	18400	42355	4300	38055
2023-24	38055	375	50	18750	56805	8850	47955

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-13 दिनांक 22-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पत्ति/गृहकर की

बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹4000/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया था जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		राशि	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2022-2023	10	10@200	-	2000	-	-	-	2000
2023-2024	10	10@200	-	2000	-	-	-	2000
कुल योग	20	20@200	-	4000	-	-	-	4000

(ख) पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार अपेक्षित बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जिससे कि पंचायत को राशि 200 की वित्तीय हानि हुई।

क्र०	नाम	विवाह की तिथि	विवाह पंजीकरण	अपेक्षित शुल्क	वास्तविक वसूली	कम वसूली
1.	श्री नरेंद्र कुमार	22-04-2023	22-06-2023	400	200	200

इस सम्बन्ध में जारी अध्याचना संख्या-13 दिनांक 22-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत द्वारा अलग बैंक खाते में रखा गया है इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अतः उपरोक्त राशि ₹4200(4000+200) की वसूली उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 आपूर्तिकर्ताओं/वेंडरों से W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही राशि ₹12.10 लाख की खनन सामग्री का अनियमित क्रय/भुगतान करने बारे।

हि० प्र० माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियमों एवं निदेशक पंचायती राज व ग्रामीण विकास के पत्र संख्या--2023/204192/1-General/2023-DB-(RD&PR)-XEN 30-34307 दिनांक 20-11-2023 द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेशों CWP No. 868 of 2023 के अनुसार किसी कांटेक्टर/वेंडर से खनन सामग्री की आपूर्ति/क्रय करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) उपलब्ध करवाने उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

परन्तु ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के अभिलेखों के चयनित माहों के अकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि, पंचायत द्वारा वेंडरों/ठेकेदारों से बिना W,X-फॉर्म प्राप्त किये ही राशि ₹1210005 (संलग्न परिशिष्ट "4" के अनुसार) की खनन

सामग्री जैसे रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि का क्रय किया तथा उक्त राशि का अनियमित भुगतान सम्बन्धित वेंडरों को किया गया जोकि उक्त आदेशों/नियमों की पूर्णतः अवहेलना है।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 04 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान W, X फॉर्म प्राप्त किये बिना ही किया गया लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अभिलेखों के अवलोकन व प्रस्तुत उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि, पंचायत में निष्पादित कार्यों हेतु क्रय खनन सामग्री का भुगतान बिना W, X फॉर्म प्राप्त किया बिना ही किया जा रहा है। जोकि उक्त आदेशों व नियमों के प्रतिकूल है। चूँकि बिना W, X फॉर्म के क्रय से यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि वेंडर, जिससे क्रय किया गया वह खनन सामग्री के विक्रय हेतु अधिकृत था अथवा नहीं जिससे अवैध खनन के साथ-साथ खनन सामग्री पर सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व GST, रॉयल्टी की वित्तीय हानि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.1 संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.12 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹588610/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई जिसके

फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹11772/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-05 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरन्त सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.2 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित राशि ₹45 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की चयनित माहों की लेखा परीक्षा के दौरान निम्नविवरणानुसार राशि ₹4500000 के करवाए गए कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, FRA व प्रपत्र-34 इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

क्रम संख्या अनुदान/	कार्य विवरण	स्वीकृत राशि	टिप्पणी
1. 13 th FC	कार्य: गो सदन हटली	1000000	MB, Estimate, Work Order, Technical Sanction, UCC, Form 13C In format 34, FRA, NOC etc.
2. MGREGA	कार्य :मोक्ष धाम गाँव रोणी	500000	
3.MGREGA	कार्य : एक अतिरिक्त कमरा ग्राम पंचायत	500000	
4.VKVNY+ MGREGA	कार्य:लिक रोड मेन रोड रोणी से सपड़ी गुणा	1000000	
5.MGREGA	कार्य: सीमेंट कंक्रीट चेक डेम & प्रोटेक्शन वर्क बाबली, डगोह नाला	500000	
6.MGREGA	कार्य :इंटरलॉकिंग टाइल्स विध प्लेग्राउंड फोर्सेट रेस्ट हाउस	1000000	
	कुल योग	₹4500000	

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-08 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त निर्माण कार्यों का निष्पादन कनिष्ठ अभियंता द्वारा करवाया गया है तथा इससे सम्बन्धित सभी अभिलेख विकास खंड कार्यालय में उनके पास पड़े हैं अंकेक्षण बारे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होंने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये ओर न ही वे स्वयं उपस्थित हुए। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारी द्वारा करवाये गए कार्यों के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अतः उक्त वांछित अभिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये तथा मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹27.21 लाख का अधिक अनियमित व्यय करने बारे ।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operational Guidelines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक लागत से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार सामग्री पर तय अनुपात से राशि ₹2721400 (29.46%) का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों को कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु मनरेगा योजना के मौलिक उद्देश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम.	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय(लाखों में)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय (लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
1.	2022-23	95.57	30.88	32.31%	64.69	67.69%
2.	2023-24	42.57	24.79	58.23%	17.78	41.77%
सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय					₹2721400	+29.46%

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-12 दिनांक 22-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा कि, मनरेगा के अंतर्गत करवाये गए कार्यों में सामग्री का अनुपात अधिक होने के कारण सामग्री पर अधिक व्यय किया गया अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अतः उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया

जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.1 15वें वित्तायोग से राशि ₹0.67 लाख का अनियमित व्यय करने बारे।

सचिव व निदेशक पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HC(10)1/2018-15th FC-75344-439 दिनांक 02 सितम्बर 2021 के अंतर्गत 15वें वित्तायोग के तहत अनटाईड ग्रांट के अंतर्गत निहित परिशिष्ट I व II में उक्त अनुदान के अंतर्गत स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में ही व्यय किया जाना अपेक्षित था।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के अंकेक्षण दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग से निम्नविवरणानुसार राशि ₹67146 का Smart TV व इनवर्टर इत्यादि के क्रय पर किया गया जोकि उक्त नियम/आदेश के तहत जारी स्वीकार्य सांकेतिक मदों/कार्यों की सूची में निहित न होने के कारण प्रतिकूल प्रतीत होता है।

Sr.No.	Vr.No./Date	Detail of Supplier	Material	Amount
1.	13/10-05-2022	M/S Baloriya Computer Service, Chamba	Redmi Smart TV	33500
2.	19/28-05-2022	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	Invertor with Battery	33646
			Total	67146

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-09 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, उक्त अनुदान से व्यय राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। अतः उक्त मदों पर किये गये व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जाये अन्यथा अनियमित व्यय की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा कर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.2 15 वें वित्तायोग के अंतर्गत राशि ₹924 का अधिक भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर- 9 नियम 76 के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा सिविल सप्लाय से सीमेंट खरीद पर प्राप्त बिलों के एवज में निम्नविवरणानुसार राशि ₹924 का अधिक भुगतान किया गया।

1.Sr.no/ Grant	2.Vr.No/date	3.Actual paid as performa bill	4.As per bill payment	5.Excess paid (3-4)
1.15 th FC	05/10-05-2022	11460	11388	72
2. 15 th FC	06/10-05-2022	6876	6570	306
3. 15 th FC	14/11-05-2022	15280	14892	388
4. 15 th FC	17/18-05-2022	1910	1752	158
	Total	₹35526	₹34602	₹924

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 208 दिनांक 19-08-2023 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उक्त तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली शीघ्र ही कर ली जाएगी। अतः उक्त राशि की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में शीघ्र जमा करवा दी जाये एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.3 विहित औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही राशि ₹4.74 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त,बजट,लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 67(2) 67(3,क) 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "3" के अनुसार राशि ₹473906/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय उप-समिति के अनुमोदन बिना ही किया गया। इस क्रय हेतु न तो तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया और ही कोई आपूर्ति आदेश इत्यादि पाये गये जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-06 दिनांक 21-10-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त

कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। उत्तर संतोषजक नहीं है अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.4 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹33.02 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रय व भुगतान करने बारे।

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "6" के अनुसार राशि ₹3302274 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर केवल सादे कागज, केश मैमों एवं परफोर्मा बिल हैं। इसके अतिरिक्त उक्त वेंडरों की GST पंजीकरण प्रतिलिपि भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उक्त विक्रेता GST धारक है या नहीं? जिससे कि, इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अधिकतर सादे कागज, केश मैमों व परफोर्मा बिलों पर ही दावे किये गये जिनका भुगतान पंचायत द्वारा GST सहित किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया जा रहा है अथवा नहीं? उक्त मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.5 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹20.67 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे ।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरूरी है ।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न परिशिष्ट "7") राशि ₹2066502/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या-09 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है । अतः नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये ।

9.6 राशि ₹1.44 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे ।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी । पंचायत तुनुहट्टी के चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार कुल राशि ₹201491/- का व्यय किया गया । जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्ट्रोल पर सतर्कता व निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाना ।
2. प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना ।

3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना व कार्यरत मजदूरों द्वारा मस्टरोल पर हस्ताक्षर न करना।

4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक, कार्य का नाम, कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्टरोल संख्या	वाउचर/दिनांक	राशि
1.15 th FC	कार्य: पक्का पाथ गाँव गूणा	22655	24 & 25/ 24-03-2024	55534
2.15 th FC	कार्य: पक्का पाथ गरनाड़ी	22653	16-23/ 09-03-2024	47700
3.15 th FC	कार्य: पक्का पाथ रौनी	22661	16/ 21-03-2024	41275
		कुल योग		₹144509

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 10 दिनांक 21-10-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.7 निर्माण कार्यों में तय अनुपात से कम सामग्री का उपयोग करने के कारण निम्न गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार कार्यों का निष्पादन करवाया गया था परन्तु आगे अवलोकन में पाया गया कि, कार्यों के प्राक्कलन एवं निर्धारित अपेक्षित अनुपात से कम सामग्री की मात्रा का प्रयोग किया गया जिससे कि, करवाये गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संदेहास्पद प्रतीत होती है।

1. Work : Pucca Path Main Road to Dagog Bawali Head 15th FC MB No.7099 P 17-19					
Item No. & Nomenclature	Qty. As per MB	Particular	Qty.in Bags	Qty. m3	Qty. in m3
	Qty.		Cement	Sand	Agg.
3. P/L CC 1:3:6 20mm	7.27m3	Material Consumption as per MB	31.99	3.42	6.83
		Material Purchesed & Collected	26.00	3.11	5.67
		Less Material Used	5.99	0.31	1.16
2. Work : Drain With Pucca Path Barula Head 15th FC MB No. 6292 Page 44-45					
3. P/L CC 1:3:6 20mm	4.27m3	Material Consumption as per MB	18.79		
		Material Purchesed & Collected	15.00		
		Less Material Used	3.79		

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 11 दिनांक 22-10-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को पंचायत, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सहायक व सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, मामले की छानबीन उपरान्त कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन में तय मानकों से कम सामग्री प्रयुक्त की गई है। चूँकि निर्माण कार्यों में अपेक्षित तय मानकों से कम सामग्री से न केवल दिशा-निर्देशों की अवहेलना हुई है अपितु इससे निम्न गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन भी किया गया प्रतीत होता है। अतः उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जायेक अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.8 माप पुस्तिकाओं में बिना लीड (दूरी) दर्शाए पत्थर ढुलाई पर अनियमित व्यय ।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार कार्य में 14.25m³ पत्थर की ढुलाई कार्यरत लेबर द्वारा दर्शाई गई लेकिन माप पुस्तिका में लेबर द्वारा पत्थर की ढुलाई की दूरी (लीड) दर्ज नहीं की गई है और न ही उक्त मद को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है जिससे कि उक्त मद के तहत किये गए भुगतान की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी ।

1. Work : Pucca Path Main Road to Dagog Bawali Head 15th FC MB No.7099 P 17-19				
Nomenclature	Executed Qty.	Rate	Amount	Remrks
5.Stone Carriage by Manual Labour	14.25m ³	116.83	₹1664.82	No lead shown in MB

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-11 दिनांक 22-10-2024 द्वारा उक्त प्रकरण पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया । जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । अतः उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये ।

9.9 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे ।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है ।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी जिससे की अभिलेख की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी । इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अध्याचना संख्या 11 दिनांक 22-10-2024 के प्रत्युत्तर

में कहा गया कि, भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.10 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमिततायें एवं मनरेगा रोकड़बही को प्रस्तुत न करने बारे।

(क) ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षों 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹8634655 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत के मनरेगा अनुदान की रोकड़बही को लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया आय-व्यय विवरण को ऑनलाइन वित्तीय विवरण से तैयार किया गया है जिससे कि मनरेगा की रोकड़बही का सत्यापन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 22-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा अनुदान की रोकड़बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अतः नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदनुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.11 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि

यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 12 दिनांक 22-10-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैनुअल दोनों माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त केवल मैनुअल संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैनुअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें अत्यधिक कटिंग, फ्लुडिंग इत्यादि की गई थी तथा इसमें न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transactions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका। ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा

संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अध्याचना संख्या-09 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, 15वें वित्तायोग के अतिरिक्त अन्य रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.1 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के चयनित माहों के अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या-07 दिनांक 21-10-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.2 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के नियम 34 के

अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	संधारित नहीं
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत तुनुहट्टी की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

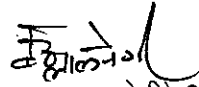
अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 21-10-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13

निष्कर्ष :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

27 NOV 2024


(कृष्ण लाल नेगी) 27.11.24

सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

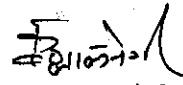
5747-5751 क/०/५७

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 59/2021 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत तुनुहट्टी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

27 NOV 2024


(कृष्ण लाल नेगी) 27.11.24

सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

क/०/५७

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Tunuhatti for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (DPO.13th FC)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1547043.29	1231116.00	2778159.29	1618449.11	1159710.18
2023-24	1159710.18	372415.00	1532125.18	306435.00	1225690.18

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1557592.00	12068484.00	13626076.00	12295849.00	1330227.00
2023-24	1330227.00	5325322.00	6655549.00	5247476.00	1408073.00

2633763.18

1+2 (1225690.18+1408073)

Closing Balance as per Cash Books

2633763.18

Closing Balance as per Bank Passbook

2064344.48

Difference

(Less in bankpass book)

569418.70

सचिव
ग्राम पंचायत
वि. खण्ड भटियास
जिला मम्बा (हि.प्र)

23

27

परिशिष्ट "2" पंरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Tunuhatti for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

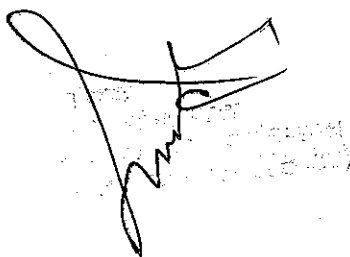
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	9556185.00	9556185.00	9556185.00	0.00
		2023-24	0.00	4165235.00	4165235.00	4165235.00	0.00
2	15TH FC	2022-23	733389.00	816421.00	1549810.00	711830.00	837980.00
		2023-24	837980.00	83436.00	921416.00	288106.00	633310.00
3	VKVNY/SDP/ NDRF	2022-23	201653.00	795030.00	996683.00	915231.00	81452.00
		2023-24	81452.00	625087.00	706539.00	248088.00	458451.00
4	SBM	2022-23	55745.00	77529.00	133274.00	133274.00	0.00
		2023-24	0.00	87924.00	87924.00	87924.00	0.00
5	MMAGY	2022-23	88938.00	561083.00	650021.00	423570.00	226451.00
		2023-24	226451.00	111850.00	338301.00	180865.00	157436.00
6	5th SFC	2022-23	6746.00	252300.00	259046.00	213380.00	45666.00
		2023-24	45666.00	247327.00	292993.00	243400.00	49593.00
7	RAY/IAV	2022-23	224.00	6.00	230.00	0.00	230.00
		2023-24	230.00	9.00	239.00	0.00	239.00
8	WDF	2022-23	901.00	27.00	928.00	0.00	928.00
		2023-24	928.00	34.00	962.00	0.00	962.00
9	BioDiversity	2022-23	77389.00	2271.00	79660.00	0.00	79660.00
		2023-24	79660.00	2748.00	82408.00	0.00	82408.00
10	RGSA	2022-23	392607.00	7518.00	400125.00	342265.00	57860.00
		2023-24	57860.00	1672.00	59532.00	33858.00	25674.00
11	14th FC	2022-23	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1557592.00	12068484.00	13626076.00	12295849.00	1330227.00
			1330227.00	5325322.00	6655549.00	5247476.00	1408073.00

सचिव
ग्राम पंचायत
वि. सं. २०२३-२४
जिला मन्त्रालय (वि.म.)

Referred in Para no. 9.3

Annexure "3" Store/ stock purchase Irregularities noticed in Codal Formalities in r/o GP Tunuhatti

Sl. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	REMARKS
1	M/S Baloria Computer Ser. Main Bazar, Chamba	15th FC	11 & 13/ 10-05-2022	Laptop Redmi Smart TV	49560.00 33500.00	Quotations Were not approved by sub committee of GP & No Compritive Statement & No Supply Order was prepared.
2	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	19/ 28-05-2022	Invertor With Battery	33346.00	
3	M/S C.S.V. PO Taragarh, Chamba	15th FC	07 & 09/ 10-05-2022	Carrige of Cement Sand & Agg.	13500.00	
4	M/S Gualti Fabricator's Pathankot, Punjab	13th FC	09-12/ 09-05-2022	Prepainted Sheets 1600kg@215	344000.00	
TOTAL					473906.00	



12
A

परिशिष्ट "4" पैर संख्या 8 में अ-दर्जित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP TUNUHATTI TO WHOM PAYMENT MADE WITHOUT OBTAINING W, X, FORM W.E.F. 04/2022 TO 03/2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID
1	M/S C.S.V. PO Taragarh, Chamba	15th FC	04/ 06-05-2022	Sand Aggre.	7.08 13.31	11.33 25.82	11500.00 20210.00
2	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	10/ 10-05-2022	Sand Aggre.	3.11 5.67	4.98 11.00	5060.00 8600.00
3	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	12/ 10-05-2022	Sand Aggre.	1.98 3.85	3.17 7.47	3220.00 5848.00
4	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	15/ 11-05-2022	Aggre. Sand	7.90 3.68	15.33 7.14	12000.00 6000.00
5	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	16/ 18-05-2022	Sand Aggre.	3.51 1.98	6.81 3.84	5704.00 3010.00
6	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	SBM	02/ 26-05-2022	Sand Aggre.	2.88 5.63	4.61 10.92	4692.00 8557.00
7	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	VKVNY	15/ 26-05-2022	Aggre. Sand	6.51 3.39	12.63 5.42	9890.00 5520.00
8	Arvind kumar VPO Taragarh, Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Sand Aggre.	88.02 118.88	140.83 230.62	114724.00 148306.00
				Stone	137.35	307.66	162612.00
9	C.S.V VPO Taragarh, Chamba	MGREGA	Nil/ 23-05-2022	Sand Aggre.	145.85 265.19	233.36 514.46	236900.00 402652.00
				Stone	28.32	63.43	35000.00
				TOTAL	854.09	1620.82	1210005.00

सिव
अपना पत्राचार
मि. र. व. म. म. म. म. म.
मि. र. व. म. म. म. म. म.
(दि. 20)



चरित्र "5" वर प्रमाण 8.17 अक्षर

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Tunuhatti, Chamba H.P.

Sr. No.	Voucher No./ Date	Name of Fund	Detail of Suppliers	Service & Matrail Detail	Amount	TDS @2 %	Applicable Act & Section
1	02-05 / 09-05-2022	VKVN	M/S C.S.V, PO Taragarh, Chamba	Hiring Charges of JCB	432000.00	8640.00	IT Act 1961 Section 194 C
2	13/ 26-05-2022	VKVN	M/S S.K. Bhardwaj & Sons, VPO Chuwari	Hiring Charges of JCB	36000.00	720.00	do
3	NIL/ 18-03-2024	MGRGA	M/S Shiv Dyal PO Tunuhatti, Chamba	Carriage of Sand, Stone & Agg.	120610.00	2412.20	do
TOTAL					588610.00	11772.20	

सचिव
ग्राम पंचायत
चरित्र (च.प्र.)
तुनुहट्टी (च.प्र.)

15

22

Deferred in Audit Para 9.4

Annexure "6" Payment made without Proper/Tax Bill in R/o GP Tunuhatti, Chamba

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	Remarks
1	M/S C.S.V. PO Taragarh, Chamba	15th FC	03 & 04/ 06-05-2022	Sand & Agg. Steel & Shuttring	31710.00 10975.00	Performa Bill Do
2	M/S C.S.V. PO Taragarh, Chamba	15th FC	07 & 09/ 10-05-2022	Carrige of Cement Sand & Agg.	 13500.00	Plain paper Performa Bill
3	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	10/ 10-05-2022	Sand Aggre.	5060.00 8600.00	Performa Bill do
4	M/S Baloria Computer Ser. Main Bazar, Chamba	15th FC	11 & 13/ 10-05-2022	Laptop Redmi Smart TV	49560.00 33500.00	Performa Bill do
5	M/S Gualti Fabricator's Pathankot, Punjab	13th FC	09-12/ 09-05-2022	Prepainted Sheets 1600kg@215	 344000.00	do do
6	M/S Gualti Fabricator's	13th FC	18/17-05-22	Prepainted Sheets	860000.00	do
7	M/S C.S.V. PO Taragarh	VKVNY	2-10/9-5-22	ICB 360hr@1200	432000.00	do
8	C.S.V. VPO Taragarh, Chamba	MGREGA	Nil/ 23-05-2022	Sand Aggre.	236900.00 402652.00	do do
				Stone	35000.00	do
9	M/S Tanishka Tile Industry Tehsil Nurpur, Kangra	MGREGA	Nil 23-05-2022	Interlock Tiles 60mm19675no	 413175.00	do do
10	Arvind kumar VPO Taragarh, Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Sand Aggre.	114724.00 148306.00	do do
11				Stone	162612.00	do
				TOTAL	3302274.00	

विवरण
प्रमाणित
श्री. उमेश भट्टियाल
जिला निष्ठा (हि.प्र.)

20

Refered in Para No 9.5

Annexure "7" Payment made without Joint Sign. In R/O GP Tunuhatti

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID
1	M/S C.S.V. PO Taragarh, Chamba	15th FC	03 & 04/ 06-05-2022	Sand & Agg. Steel & Shuttring	31710.00 10975.00
2	M/S C.S.V. PO Taragarh, Chamba	15th FC	07 & 09/ 10-05-2022	Carriage of Cement Sand & Agg.	 13500.00
3	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	10/ 10-05-2022	Sand Aggre.	5060.00 8600.00
4	M/S Baloria Computer Ser. Main Bazar, Chamba	15th FC	11 & 13/ 10-05-2022	Laptop Redmi Smart TV	49560.00 33500.00
5	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	10/ 10-05-2022	Sand Aggre.	5060.00 8600.00
6	M/S S.K. Bhardwaj & Sons VPO Chuwari, Chamba	15th FC	12/ 10-05-2022	Sand Aggre.	3220.00 5848.00
7	M/S Baloria Computer Ser. Main Bazar, Chamba	15th FC	11/ 10-05-2022	Redmi Smart TV	33500.00
8	M/S Gualti Fabricator's Pathankot, Punjab	13th FC	09-12/ 09-05-2022	Prepainted Sheets 1600kg@215	 344000.00
9	C.S.V VPO Taragarh, Chamba	MGREGA	Nil/ 23-05-2022	Sand Aggre.	236900.00 402652.00
				Stone	35000.00
10	M/S Tanishka Tile Industry Tehsil Nurpur, Kangra	MGREGA	Nil 23-05-2022	Interlock Tiles 60mm19675no	 413175.00
11	Arvind kumar VPO Taragarh, Chamba	MGREGA	Nil/ 01-03-2024	Sand Aggre.	114724.00 148306.00
				Stone	162612.00
				TOTAL	2066502.00

अधिव
ग्राम पंचायत
वि. खण्ड, धरियात
मला नका (हि.प्र)

29

33

